भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3100
दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

थर्मल पावर प्लांट का आधुनिकीकरण

†3100. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों (टी.पी.पी.) को कोई ताजा सर्वेक्षण किया है और यदि हाँ, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त विद्युत संयंत्रों की सूची का ब्यौरा क्या है जिनका आधुनिकीकरण/उन्नयन किया जाना है तथा जिन्हें बंद किया जाना है;

(ग) देशभर में ताप विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए, विशेषकर आंध्र प्रदेश के संयंत्रों के संबंध में, संयंत्र-वार आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने भारत की विद्युत सुरक्षा पर विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ख) और (घ) : भारत सरकार ने दिनांक 16.03.2022 को एनटीपीसी लिमिटेड, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (जीएसईसीएल) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया, जिसने कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों की कार्यावधि बढाने और नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और आर एंड एम दिशानिर्देश वर्ष 2023 के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद दिशानिर्देश के आधार पर, सीईए ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद वर्ष 2022 दिसंबर तक 20 वर्ष से अधिक कार्यावधि वाली यूनिट के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण/कार्यावधि बढाने (आर एंड एम/एलई) वाले कार्यों के लिए संभावित कैंडीडेट क्षमता के रूप में 223 यूनिटों की पहचान की। किसी भी बड़ी ऊर्जा मांग-आपूर्ति अंतर से बचने के लिए इन यूनिटों में आर एंड एम/एलई कार्यों को नौ चरणों में लागू किया जाना है। विवरण **अनुबंध** पर हैं।

(ग) : वर्तमान में, केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सहित पूरे भारत में ताप विद्युत संयंत्र के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए न तो धनराशि प्रदान करती है और न ही उसके पास कोई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। उत्पादक कंपनी से व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के बाद आर एंड एम/एलई कार्यों को व्यावसायिक रूप से वित्तपोषित करने की अपेक्षा है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3100

अनुबंध

चरणबद्ध योजना

चरण	अवधि	केंद्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल यूनिट	कुल क्षमता (मेगावाट)
I	01.01.2024 - 30.06.2026	11 यूनिट (2,230 मेगावाट)	25 यूनिट (5,230 मेगावाट)	1 यूनिट (500 मेगावाट)	37	7,960
II	01.07.2026 - 31.12.2028	18 यूनिट (5,170 मेगावाट)	12 यूनिट (3,140 मेगावाट)	-	30	8,310
III	01.01.2029 - 30.06.2031	12 यूनिट (2,810 मेगावाट)	12 यूनिट (2,560 मेगावाट)	-	24	5,370
IV	01.07.2031 - 31.12.2033	8 यूनिट (2,550 मेगावाट)	15 यूनिट (3,730 मेगावाट)	2 यूनिट (500 मेगावाट)	25	6,780
V	01.01.2034 - 30.06.2036	5 यूनिट (1,630 मेगावाट)	17 यूनिट (4,330 मेगावाट)	3 यूनिट (750 मेगावाट)	25	6,710
VI	01.07.2036 - 31.12.2038	12 यूनिट (5,420 मेगावाट)	8 यूनिट (2,175 मेगावाट)	-	20	7,595
VII	01.01.2039 - 30.06.2041	5 यूनिट (2,000 मेगावाट)	16 यूनिट (4,590 मेगावाट)	4 यूनिट (1,000 मेगावाट)	25	7,590
VIII	01.07.2041 - 31.12.2043	5 यूनिट (1,740 मेगावाट)	9 यूनिट (2,655 मेगावाट)	9 यूनिट (2,660 मेगावाट)	23	7,055
IX	01.01.2044 - 30.06.2046	5 यूनिट (2,490 मेगावाट)	2 यूनिट (460 मेगावाट)	7 यूनिट (3,120 मेगावाट)	14	6,070
कुल योग	जनवरी 2024 - जून 2046	81 यूनिट (26,040 मेगावाट)	116 यूनिट (28,870 मेगावाट)	26 यूनिट (8,530 मेगावाट)	223	63,440
